[21/3/2025]

प्रश्न सं. [क्र. 2543]

(24)

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक 496/2031 / 2018 / नियम / चार

भोपाल, दिनांक 23-3-2019

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
मध्यप्रदेश।

विषय :— मध्यप्रदेश राज्य तिलहन संघ के कर्मचारियों की राज्य शासन के अंतर्गत शासकीय विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना होने पर पांचवे / छटवें वेतनमान में वेतन निर्धारण करने बावत्।

***

1. मध्यप्रदेश राज्य तिलहन संघ के सेवायुक्तों को समय--समय पर राज्य शासन के अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया है। इनमें से कतिपय सेवायुक्तों द्वारा माननीय न्यायालय में दायर याचिकाओं में, न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के पालन में इन विशिष्ट प्रकरणों में प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए पांचवां व छटवां वेतनमान दिये जाने की स्थिति निर्मित हुई है। इसके अतिरिक्त तिलहन संघ से राज्य शासन एवं जिला / जनपद पंचायतों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ सेवायुक्तों को भी राज्य शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति तिथि से पांचवा / छटवां वेतनमान दिये जाने का निर्णय लिया जा चुका है।

2. यह संज्ञान में आया है कि तिलहन संघ से प्रतिनियुक्ति पर अलग--अलग वर्षों में पदस्थ उपर्युक्त श्रेणी के सेवायुक्तों के पांचवां व छटवां वेतनमान में वेतन निर्धारण के लिए विभागों में पृथक--पृथक प्रकियायें अपनाई जा रही है।

3. उपर्युक्त स्थितियों में वेतन निर्धारण की प्रकिया के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि तिलहन संघ से राज्य शासन के विभागों में संविलियन होने पर वेतन निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 12 अगस्त 2013 से जारी संविलियन योजना की कंडिका 2.6 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 23 अगस्त 2016 में निर्धारित प्रकिया अनुसार ही किया जाना है। कृपया तद्नुसार वेतन निर्धारण सुनिश्चित किया जाए। (प्रतिलिपि संलग्न) ।

4. कृपया उपर्युक्त अनुसार वेतन निर्धारण के नियमन हेतु एवं अधिक / कम वेतन निर्धारण की स्थिति में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सर्व संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें। अधिक भुगतान की स्थिति में संबंधित कार्यालय प्रमुख / आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे अधिक भुगतान की राशि समायोजित करे।

(अनुराग जैन)
प्रमुख सचिव
म0प्र0शासन,वित्त विभाग

Rule-346

(75)

//2//

पृष्ठ क्रमांक 497/2031/2018/नियम/चार

प्रतिलिपिः—

भोपाल, दिनांक 23.3.2019

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधान सभा भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश भोपाल
10. रजिस्ट्रार म.प्र.राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
13. अध्यक्ष व्यवसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिये
18. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अभिक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय भोपाल
19. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल
20. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
21. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
22. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघो
24. अध्यक्ष, म0प्र0राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय भोपाल
25. सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी
26. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन,वित्त विभाग

Rule-347

— 48 —

(12)

(26)

विषय: म0प्र0राज्य तिलहन संघ के कर्मचारियों की राज्य शासन के अंतर्गत शासकीय विभागो में प्रतिनियुक्ति होने पर पांचवे / छटवें वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के संबंध में।

पूर्व पृष्ठ से– ...0..

संस्थागत वित्त विभाग (संस्थागत वित्त) को निम्नानुसार अभिमत दिया जाता है :–

(अ) संविलियन के पूर्व सेवायुक्त शासकीय सेवक नहीं होने से संविलियन से पूर्व का वेतन निर्धारण लोकल फण्ड आडिट से कराया जा सकता है।

(ब) वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 23--3--2019 में स्पष्ट है कि प्रतिनियुक्ति तिथि से पांचवे / छटवें वेतनमान में वेतन निर्धारण कर तदनुसार अंतर की राशि का भुगतान किया जावे।

(स) संस्थागत वित्त के पूर्व रेशम विभाग एवं शासकीय मुद्रणालय में पदस्थ रहे कर्मचारियों का एरियर भुगतान जिस अवधि में जिस कार्यालय में सेवारत रहे हो, द्वारा किया जाए।

(सचिव वित्त द्वारा अनुमोदित)

25/06/2020

अवर सचिव
वित्त विभाग

आयुक्त,
संस्थागत वित्त

JD (A)

AD

2/7

2/7/2020